

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला छतरपुर म.प्र.

क्रमांक/COVID-19/2020/1232

छतरपुर, दिनांक :- 02.05.2020

-: आदेश :-

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, भोपाल के पत्र क./एनएचएम/एचआर/2020/5848 दिनांक 21.03.2020, पत्र क./एनएचएम/एचआर/2020/5883 दिनांक 23.03.2020 एवं संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्य, म.प्र. भोपाल के पत्र क./आई.डी.एस.पी./2020/288 दिनांक 25.03.2020 के द्वारा MP Public Health Act-1947 धारा 10 "Appointment Health Officer in Emergency" के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये अस्थाई नियुक्ति के अधिकार जिला कलेक्टर को प्रत्यायोजित किये गये हैं।

अतः उक्त निर्देशानुसार कलेक्टर महोदय, जिला छतरपुर के अनुमोदन उपरांत, COVID-19 के नियंत्रण/रोकथाम के लिये दिनांक 30.06.2020 तक (अस्थाई रूप से 03 माह हेतु) निम्नानुसार आकस्मिक मानव संसाधन को नियोजित किया जाता है।

क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	पदनाम (अस्थाई)	मासिक मानदेय प्रतिमाह	नियुक्ति स्थल
1	पूनम द्विवेदी, मो.नं. 8957978118	हरि शंकर द्विवेदी	वार्ड नं. 12, बड़ा बस स्टेण्ड, पलेरा जिला टीकमगढ़ म.प्र.	ANM	12,000/-	जिला चिकि. छतरपुर
2	रेशमा परवीन, मो.नं. 7974767400	इरफान खान	ताज कालोनी छतरपुर म.प्र.	ANM	12,000/-	जिला चिकि. छतरपुर
3	रीतू त्रिवेदी, मो.नं. 9828335850	शिवपाल त्रिवेदी	वार्ड नं. 9 साईराम कालोनी लवकुशनगर जिला छतरपुर म.प्र.	ANM	12,000/-	सामु.स्वा.केन्द्र लवकुशनगर
4	रामश्री पटेल, मो.नं. 9753655334	विनोद कुमार पटेल	सिचाई कालोनी, सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास छतरपुर म.प्र.	ANM	12,000/-	सामु.स्वा.केन्द्र गौरिहार
5	सुमन अहिरवार, मो. नं. 9795240750	प्रेमबाबू	वार्ड नं. 8, पलेरा जिला टीकमगढ़ म.प्र.	ANM	12,000/-	सामु.स्वा.केन्द्र नौगांव

सामान्य निर्देश :-

1. यह सेवार्यें पूर्ण रूप से अस्थायी होगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही हैं, अतः इन सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिये किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
2. यह सेवार्यें एक निश्चित समयावधि 03 माह के लिए ली जा रही हैं, जिसे आवश्यकता होने पर बढ़ाया/घटाया जा सकेगा। अतः निर्धारित अवधि पश्चात् आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा।
3. उक्त मानव संसाधन की सेवार्यें जिला चिकित्सालय अथवा COVID-19 Control Operation में ही ली जा सकेगी।
4. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होंगे।
5. समस्त मानव संसाधन समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराकर सेवाप्रदाता कार्य दायित्व संभालेंगे।
6. समस्त मानव संसाधन को निर्धारित अनुबंधपत्र भरकर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय संबंधित सेवाप्रदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
7. उपरोक्त मानव संसाधन को दिनांक- 07.05.2020 को दोपहर 12 बजे उपस्थित होकर इस कार्यालय में लिखित उपस्थिति प्रस्तुत करते हुये प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक होगा, उपस्थित न होने की स्थिति में अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त मानी जावेगी। प्रशिक्षण उपरांत संबंधीजन तत्काल अपनी उपस्थिति पदस्थापना स्थल में प्रस्तुत करेंगे।
8. उक्त मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत मद COVID-19 Temporary HR B.31.3 से विकलनीय होगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला छतरपुर म.प्र.

पृ.क्रमांक/COVID-19/2020/ 1232-42
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

छतरपुर, दिनांक :- 02.05.2020

1. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. भोपाल
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. भोपाल
3. कलेक्टर महोदय, जिला छतरपुर म.प्र.
4. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, सागर संभाग सागर म.प्र.
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय छतरपुर म.प्र.
6. डॉ.अरूण देव शर्मा, जिला चिकित्सालय छतरपुर - उक्त अभ्यर्थियों को कोविड-19 के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करें।
7. मुख्य/खण्ड चिकित्सा अधिकारी,..... जिला छतरपुर म.प्र.
8. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. जिला छतरपुर की ओर वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक, एन.एच.एम. जिला छतरपुर म.प्र.
10. जिला लेखा प्रबंधक, एन.एच.एम. जिला छतरपुर म.प्र.
11. संबंधीजन की ओर पालनार्थ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला छतरपुर म.प्र.